न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारीः– अंजलि सोनी, R.J.S. (RJ01718)

विविध दीवानी प्रकरण संख्याः– 35/2026

सी.आई.एस– 35/2026

CNR – RJCH120000832026

1. रामावतार पुत्र जयलाल ब्राह्मण उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नं. 27 तारानगर जिला चूरू।

---प्रार्थी

बनाम

1. केशुराम पुत्र श्री बंशीधर निवासी वार्ड नं. 25 तारानगर जिला चूरू।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बंशीधर निवासी वार्ड नं. 25 तारानगर जिला चूरू।
3. ओंकारमल पुत्र श्री बंशीधर निवासी वार्ड नं. 25 तारानगर जिला चूरू।
4. सरोज पुत्री स्व. बंशीधर पत्नी गोप राम निवासी तारानगर जिला चूरू हाल निवासीनी मेहरी पुरोहितान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
5. सोनू देवी पत्नी राजकुमार माली निवासी वार्ड नं. 21 तारानगर जिला चूरू।
6. सुखिया पत्नी नेमचन्द माली निवासी वार्ड नं. 33 तारानगर जिला चूरू।
7. पिंकी सैनी पत्नी ताराचन्द माली निवासी वार्ड नं. 33 तारानगर जिला चूरू।
8. निर्मला देवी पत्नी सुरेश कुमार माली निवासी वार्ड नं. 14 तारानगर जिला चूरू।
9. योगेश पुत्र झाबरमल निवासी वार्ड नं. 18 तारानगर जिला चूरू।
10. नगरपालिका तारानगर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तारानगर जिला चूरू।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः--

1– श्री अनिल कुमार स्वामी तारानगर, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी।

2– श्री जीताराम शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4।

3– श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 5, 8 व 9।

4– श्री योगेश जैन, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 व 7।

5– श्री जितेन्द्र सिंह कोटड़ी, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10।

–:आदेश:–

दिनांकः– 15.07.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि कस्बा तारानगर की आबादी भूमि में वार्ड नं. 15 में बस स्टेण्ड के पीछे पंचायत समिति सड़क से बतरफ दिखनाद में पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के दादा स्व. श्री जेठा के नाम ख. नं. 128 मिन था, जो बाद में आबादी भूमि के रूप में दर्ज हो गया अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के पिता बंशीधर की मृत्यु के बाद बंशीधर के हक व अधिकार का भूखण्ड अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के हिस्से पांति में आया, जिसमें अप्रार्थीनी सं. 4 ने अपने हक व हिस्सा के भूखण्ड में से 41×82 फुट भूखण्ड जरिये इकरारनामा दिनांक 04.10.2025 को प्रार्थी को विक्रय कर उक्त भूखण्ड का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर उसे काबिज करवा दिया गया था। प्रार्थी खरीद के बाद से ही उक्त भूखण्ड को अपने उपयोग–उपभोग में निर्बाध रूप से लेता आ रहा है। उक्त भूखण्ड ही विवादित है, जिसे अनेक्चर 'क' में दर्शाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 9 ने आपस में गिरोह बना रखा है, जो षड्यंत्रपूर्वक प्रार्थी के भूखण्ड को हड़प करना चाह रहे हैं, जो काफी प्रभावशाली, ऊंची राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है, जिन्होंने अप्रार्थी सं. 10 से साठ–गांठ कर प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु नगरपालिका तारानगर में पट्टा पत्रावली प्रस्तुत कर रखी है, जिस बाबत प्रार्थी को पता चलने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 10 के यहां पर लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति जाहिर कर रखी है, फिर भी अप्रार्थी सं. 10 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तारानगर अप्रार्थी सं. 1 ता 9 के पक्ष में पट्टा बनाने की कह रहा है व प्रार्थी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए कार्यवाही कर रहा है व अप्रार्थी सं. 1 ता 9 के प्रभाव में आकर प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड का अप्रार्थीगण के नाम पट्टा बनाने पर आमदा है तथा अप्रार्थीसं. 1 ता 9 भी प्रार्थी को एलानियां धमकियां दे रहे है कि वे उक्त भूखण्ड व सम्पूर्ण भूखण्ड का उनके नाम पट्टा बनाकर उक्त भूखण्ड को विक्रय करेगें, जिस प्रकार अप्रार्थीगण जाहिर कर रहे है व अपने नाकामयाब मनसूबे में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका किसी भी प्रकार की मुद्रा में मूल्याकन किया जाना सम्भव नहीं है। प्रथम दृष्टया, मामला, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है व अप्रार्थीगण के विरुद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किए जाने का निवेदन

किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड को रहन, बैय, विक्रय व अन्य किसी भी तरह से हस्तान्तरण करे, ना ही कोई निर्माण कार्य करें, ना ही कोई ऐसा कार्य व अकार्य करे ना ही किसी अन्य से करवाये, ना ही अप्रार्थी सं. 10 अप्रार्थी सं. 1 ता 9 व अन्य व्यक्ति के हक में प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करें, जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जवाब प्रार्थना इन कथनों के साथ पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 व 3 स्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को प्रार्थी के भूखण्ड से कोई लेना देना है, ना ही अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने अन्य अप्रार्थीगण के साथ मिलकर कोई षड्यंत्रपूर्वक प्रार्थी का भूखण्ड हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 उक्त भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहे है ना ही उन्होंने अपने नाम से कोई पट्टा बनाया है। अन्य अप्रार्थी व अन्य लोगों ने इस भूमि पर पट्टे बनवाये है, किन किन व्यक्तियों के पट्टे बनाये हैं, इसकी जानकारी अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने अपने हिस्सा में से भूखण्ड पूर्व में विक्रय कर दिये थे, मगर उन्हें आज तक पूर्ण प्रतिफल नहीं मिला है। अप्रार्थी सं. 4 सरोज ने पूर्व में अपने हिस्सा का भूखण्ड विक्रय नहीं किया था, जिसने अपने हिस्सा में से अब एक भूखण्ड प्रार्थी को विक्रय किया है जो उसके स्वामित्व व उपयोग उपभोग का भूखण्ड था। प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 में प्रार्थी द्वारा चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की जाती है तो अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को कोई आपति नहीं है। क्योंकि उक्त भूखण्ड प्रार्थी का क्रय किया हुआ भूखण्ड है जिससे अब अप्रार्थी को कोई सरोकार नहीं है।

3. अप्रार्थीगण संख्या 5, 8 व 9 द्वारा जवाब प्रार्थना इन कथनों के साथ पेश किया कि कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वच्छ हाथों से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर आपसी कोल्युजन से बिना किसी विधिक आधार के पेश किया गया होने से हर सुरत में खारिज किये जाने योग्य है। वादगत भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बध नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 5 ता 9 की पट्टे शुदा भूमि है तथा वादगत भूमि पर अप्रार्थी सं. 05 ता 09 का ही निर्माण है तथा उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 5 ता 9 ही अपने कब्जे उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। वादगत भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं रहा ना ही वर्तमान में है। उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 05 ता 09 के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 05 ता 09 बिलकुल साधारण परिवार के शांतिप्रिय लोग हैं, जिनकी कोई ऊंची राजनैतिक पहुँच

नहीं है इसके विपरीत प्रार्थी भू–माफिया गिरोह का सदस्य है तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं. 01 ता 04 से आपसी कोल्युजन कर अप्रार्थी सं. 05 ता 09 की खरीदशुदा,पट्टेशुदा, निर्माण शुदा कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि पर नाजायज मुकदमें बाजी कर अप्रार्थी सं. 05 ता 09 को तंग परेशान कर उनसे मोटी रकम ऐंठना चाहता है उसी उददेशय से प्रार्थी द्वारा हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं. 05 ता 09 को तगं परेशान करने व खर्चे से जेरबार करने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी सं. 05 ता 09 के हक में पालिका द्वारा नियमानुसार कीमतन पट्टे जारी हो चुके हैं। वादगत भूमि अप्रार्थीगण सं. 5 ता 9 की पट्टेशुदा स्वामित्व उपयोग उपभोग की भूमि है, तो उसका विक्रय करने का उनको पूर्ण अधिकार है। उक्त विधिक अधिकार में प्रार्थी या उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। वादगत भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी सं. 05 ता 09 उक्त भूमि के पट्टाधारक है ऐसी स्थिति में असली स्वामी के विरूद्ध प्रार्थी कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्ट्या, मामला, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त एवं अपूर्तिय क्षति के सिद्धान्त अप्रार्थी सं. 5 ता 9 के हक में है। वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 05 ता 09 के स्वामित्व कब्जे उपयोग उपभोग की पट्टेशुदा भूमि है। अगर अप्रार्थी सं. 05 ता 09 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबध किया जाता है, तो उनके विधिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित होंगे व भूमाफिया गिरोह के सदस्यों के हौसले बढ़ेंगे। वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 05 ता 09 की खरीदशुदा, कब्जे शुदा, पट्टशुदा व स्वामित्व उपयोग उपभोग की भूमि है। ऐसी स्थिति में नो पजेशन नो इन्जेक्शन की कानूनी स्थिति के अनुसार प्रार्थी को असली स्वामी के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादीनी सं. 04/अप्रार्थी सं. 04 द्वारा भी वादगत भूमि को लेकर एक वाद नम्बरी दिवानी 35/2024 बअनवानी सरोज बनाम केशुराम आदि व उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र मुत. दी 40/2024 बअनवानी सरोज बनाम केशुराम आदि दिनांक 01/6/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष इस वाद में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा ही पेश किया था, जिसमें दिनांक 05.07.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी सरोज की अन्तरिम स्थगन की प्रार्थना को खारिज कर दिया था, तत्पश्चात प्रार्थीनी द्वारा अपने भाईयों अप्राथी सं. 01 ता 03 से आपसी कोल्युजन कर प्रार्थी के हक में नुमाईसी Aggrement to sale का दस्तावेज बना कर हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र वादी रामावतार से अप्रार्थी सं. 05 ता

09 को तंग परेशान करने व उनसे मोटी रकम ऐठनें के उद्देश्य से पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद चिरस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है एंव प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा गया है उक्त अनुतोष इस स्तर पर प्रदान किया जाना वाद का अन्तिम निस्तारण होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अन्तिम अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 द्वारा जवाब प्रार्थना इन कथनों के साथ पेश किया कि कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वच्छ हाथों से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर आपसी कोल्युजन से बिना किसी विधिक आधार के पेश किया गया होने से हर सुरत में खारिज किये जाने योग्य है। वादगत भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बध नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 5 ता 9 की पट्टे शुदा भूमि है तथा वादगत भूमि पर अप्रार्थी सं. 05 ता 09 का ही निर्माण है तथा उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 5 ता 9 ही अपने कब्जे उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। वादगत भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं रहा ना ही वर्तमान में है। उक्त भूमि को अप्रार्थी सं. 05 ता 09 के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 05 ता 09 बिलकुल साधारण परिवार के शांतिप्रिय लोग हैं, जिनकी कोई ऊंची राजनैतिक पहुँच नहीं है इसके विपरीत प्रार्थी भू–माफिया गिरोह का सदस्य है तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं. 01 ता 04 से आपसी कोल्युजन कर अप्रार्थी सं. 05 ता 09 की खरीदशुदा,पट्टेशुदा, निर्माण शुदा कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि पर नाजायज मुकदमें बाजी कर अप्रार्थी सं. 05 ता 09 को तंग परेशान कर उनसे मोटी रकम ऐंठना चाहता है उसी उददेशय से प्रार्थी द्वारा हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं. 05 ता 09 को तगं परेशान करने व खर्चे से जेरबार करने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी सं. 05 ता 09 के हक में पालिका द्वारा नियमानुसार कीमतन पट्टे जारी हो चुके हैं। वादगत भूमि अप्रार्थीगण सं. 5 ता 9 की पट्टेशुदा स्वामित्व उपयोग उपभोग की भूमि है, तो उसका विक्रय करने का उनको पूर्ण अधिकार है। उक्त विधिक अधिकार में प्रार्थी या उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। वादगत भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी सं. 05 ता 09 उक्त भूमि के पट्टाधारक है ऐसी स्थिति में असली स्वामी के विरूद्ध प्रार्थी कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया, मामला, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त

एवं अपूर्तिय क्षति के सिद्धान्त अप्रार्थी सं. 5 ता 9 के हक में है। वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 05 ता 09 के स्वामित्व कब्जे उपयोग उपभोग की पट्टेशुदा भूमि है। अगर अप्रार्थी सं. 05 ता 09 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबध किया जाता है, तो उनके विधिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित होंगे व भूमाफिया गिरोह के सदस्यों के हौसले बढ़ेंगे। वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 05 ता 09 की खरीदशुदा, कब्जे शुदा, पट्टशुदा व स्वामित्व उपयोग उपभोग की भूमि है। ऐसी स्थिति में नो पजेशन नो इन्जेक्शन की कानूनी स्थिति के अनुसार प्रार्थी को असली स्वामी के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादीनी सं. 04/अप्रार्थी सं. 04 द्वारा भी वादगत भूमि को लेकर एक वाद नम्बरी दिवानी 35/2024 बअनवानी सरोज बनाम केशुराम आदि व उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र मुत. दी 40/2024 बअनवानी सरोज बनाम केशुराम आदि दिनांक 01/6/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष इस वाद में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा ही पेश किया था, जिसमें दिनांक 05.07.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी सरोज की अन्तरिम स्थगन की प्रार्थना को खारिज कर दिया था, तत्पश्चात प्रार्थीनी द्वारा अपने भाईयों अप्राथी सं. 01 ता 03 से आपसी कोल्युजन कर प्रार्थी के हक में नुमाईसी Aggrement to sale का दस्तावेज बना कर हस्तगत वाद/प्रार्थना पत्र वादी रामावतार से अप्रार्थी सं. 05 ता 09 को तंग परेशान करने व उनसे मोटी रकम ऐठनें के उद्वेश्य से पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद चिरस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है एंव प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा गया है उक्त अनुतोष इस स्तर पर प्रदान किया जाना वाद का अन्तिम निस्तारण होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अन्तिम अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य प्रार्थी को साबित करने हैं, इस मद में दर्ज भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 व उनके परिवार के पूर्वजो की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रही है। किस व्यक्ति के हिस्सा में कितनी भूमि आती है, इस बात की जानकारी अप्रार्थी को नहीं है, जो प्रार्थी को ही साबित करनी है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में दर्शाये गये भूखण्ड का आसा पासा व क्षेत्रफल प्रार्थी को ही साबित करना है। इस बाबत अप्रार्थी सं. 10 को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में दर्ज तथ्य कि उक्त खसरा की भूमि

का पट्टा नगरपालिका तारानगर द्वारा नियमानुसार सही बनाया गया है। उक्त भूमि पर नगरपालिका तारानगर द्वारा आपतियों का निस्तारण करके ही पट्टे जारी किये गये हैं, नगरपालिका द्वारा आवेदनकर्ता के पुराने स्टाम्प पेपर के आधार पर भूखण्ड की पत्रावलियां जमा लेकर पट्टे जारी किये गये है। उक्त स्टाम्प पेपरों पर उक्त भूमि के सभी वारिसान के हस्ताक्षर हैं या नहीं, इस बाबत नगरपालिका को कोई जानकारी नहीं है। नगरपालिका ने इस भूमि पर जो पट्टे जारी किये हैं, वह गैर मुमकिन आबादी भूमि थी, जिसका आबादी में कन्वर्जन हो जाने के उपरान्त ही नगरपालिका द्वारा कब्जा भूमि के पट्टे जारी किये गये थे।

6. दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि वादगत भूखण्ड अप्रार्थी 4 द्वारा प्रार्थी को जरिए इकरारनामा विक्रय कर दिया गया, जिस पर वह खरीद बाद से ही काबिज है एवं उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है व अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की व अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 9 द्वारा के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि वादगत भूखण्ड को स्वयं के खरीदशुदा व स्वामित्व की भूमि होना तथा अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा पट्टा नियमानुसार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों की बहस के तर्कों का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया।

9. हस्तगत प्रार्थना पत्र के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय द्वारा निम्न तीन बिन्दुओं का अवधारण किया जाना आवश्यक हैः–

1– प्रथम दृष्ट्या मामलाः–

2– सुविधा का सन्तुलनः–

3– अपूर्णीय क्षतिः–

–:प्रथम दृष्ट्या मामलाः–

10. प्रथम दृष्टया मामले का मौलिक अर्थ होता है कि प्रार्थी के पक्ष में ऐसा कोई विधिक अधिकार होना जिसकी रक्षा के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो। अर्थात प्रथम दृष्टया मामले के बिन्दु के संबंध में न्यायालय

को यह देखना होता है कि क्या प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई सारवान प्रश्न न्यायालय के समक्ष उठाया गया है, जिसके संबंध में विचारण की आवश्यकता हो। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण साम्य व सद्विवेक के आधार पर किया जाना होता है। यदि प्रार्थी के वादगत विषयवस्तु में अधिकार सृजित होना प्रकट होता है तथा प्रतिपक्ष पक्षकार द्वारा प्रार्थी के अधिकारों का विधि विरूद्ध उल्लंघन किया जाना प्रकट होता है तो प्रार्थी को वांछित अनुतोष प्रदान करके न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इसके विपरीत यदि प्रार्थी का न्यायालय के समक्ष शुद्ध हाथों से आना प्रकट नहीं होता है तथा स्वयं प्रार्थी द्वारा ही साम्या विचलित किया जाना प्रकट होता है तो प्रार्थी को वांछित अनुतोष प्रदान कर संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता।

11. इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र इन कथनों के साथ पेश किया है कि वादगत भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रार्थी को जरिए इकरारनामा विक्रय कर दिया गया, जिस पर वह खरीद बाद से ही काबिज है एवं उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

12. इसके विपरीत जवाब पेश कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर आपत्ति नहीं होने तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता 9 द्वारा उक्त वादगत भूखण्ड को स्वयं के खरीदशुदा व स्वामित्व की भूमि होना तथा अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा पट्टा नियमानुसार बनाने का कथन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन करते हुए अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियाः– 1. Union of India (UOI) And Others VS Modiluft Ltd., (2003) 6 SCC 65

13. दोनों पक्षों द्वारा किए गए कथनों के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया है कि वादगत भूखण्ड प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 से इकरारनामा दिनांकित 04.10.2025 के जरिए क्रय किया गया तथा उसका कब्जा भी उसे सुपुर्द कर दिया गया, जिसे वह तभी से अपने उपयोग–उपभोग में निर्बाध रूप से लेता आ रहा है। इस संदर्भ में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित तथ्यों को तथा अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त भूखण्ड प्रार्थी को विक्रय किया जाना स्वीकार किया है। तथापि यहां यह उल्लेखनीय है कि इस स्तर पर पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली पर प्रस्तुत

पक्षकारान के तथ्यों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रार्थी के पक्ष को निर्विवाद स्वीकृति प्रदान करने हेतु पर्याप्त नहीं मानी जा सकती, क्योंकि निषेधाज्ञा का प्रश्न पारस्परिक करार के पक्षकारों तक सीमित न रहकर उन सभी पक्षकारों के अधिकारों से संबद्ध हो जाता है जिनके विरुद्ध वह मांगी गई है। वहीं अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 9 की ओर से प्रस्तुत पृथक्–पृथक् जवाब का अवलोकन किया जाए तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आसापासा व क्षेत्रफल की भूमि वस्तुतः उन्ही के स्वयं के खरीदशुदा, कब्जेशुदा, पट्टेशुदा व निर्माणशुदा भूमि होने का कथन करते हुए अपने उक्त कथन को नगरपालिका द्वारा जारी पट्टों के दस्तावेजी आधार से समर्थित होना प्रकट किया है। इसी क्रम में अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करें तो उसमें उक्त खसरे की भूमि के पट्टे नगरपालिका द्वारा नियमानुसार बनाए जाने व आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत उक्त पट्टे जारी किए जाने का कथन किया है।

14. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित आसापासा व क्षेत्रफल की भूमि पर कब्जे का पक्षकारों के मध्य मौलिक मतभेद विद्यमान है। न्यायालय के विनम्र मत में जहां वर्तमान भौतिक कब्जा स्वयं इस प्रकार विवादित हो, वहां ऐसे विवादित तथ्यों को साक्ष्य आने के उपरांत ही तय किया जा सकता है। अतः प्रार्थी अपने पक्ष में एक निर्विवाद व सुस्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

15. परिणामतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

–:सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षतिः–

16. उक्त दोनों बिन्दु परस्पर संबंधित होने के कारण पुनरावृति के निवारण हेतु व सुविधा की दृष्टि से उक्त बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

17. चूंकि प्रकरण में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामले का बिंदू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने से प्रार्थी को किसी भी प्रकार से असुविधा व अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। अतः ऐसी स्थिति में दोनों बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध तय किए जाते हैं।

–:आदेश:–

18. चूंकि प्रार्थी रामावतार पुत्र जयलाल ब्राह्मण उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नं. 27 तारानगर जिला चूरू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिंदू अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी की ओर से पेश अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद की पत्रावली रहे।

(अंजलि सोनी)(RJ01718)
सिविल न्यायाधीश
तारानगर जिला चूरू।

19. आदेश आज दिनांक 15.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजलि सोनी)(RJ01718)
सिविल न्यायाधीश
तारानगर जिला चूरू